भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 949
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग

949. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं जिनसे यह पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय परीक्षण के आधार पर अपनी कार्यवाहियों का 'लाइव ट्रांसक्राइब' करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने सभी न्यायालय कक्षों में पूर्णकालिक आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को अपनाया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार की भारतीय न्यायालयों और अधिकरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी शुरू करने की कोई योजना अथवा नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश भर में भारतीय न्यायालयों और अधिकरणों ने न्याय प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद में कृत्रिम मेधा (एआई) भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग और न्यायिक पक्ष पर विधि अनुसंधान सहायता में एआई के उपयोग को अपनाया है । उच्चतम न्यायालय की एआई समिति ने लंबित मामलों पर दृष्टि रखने और पुराने मामलों पर विशेष ध्यान देने एवं ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं और सीमांत वर्गों से संबंधित मामलों के लिए प्रशासनिक पक्ष अर्थात् प्रक्रिया स्वचालन में एआई के उपयोग की पहचान की है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी, 2023 से विशेष रुप से संविधान पीठ के मामलों में मौखिक बहस का प्रतिलेखन करने के लिए कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी के उपयोग को उद्घाटित किया है । लगभग 10 (मुख्य) संविधान पीठ के मामलों में कृत्रिम मेधा के उपयोग द्वारा बहस की अनुलिपि तैयार की गई है और इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया

जाता है । कृत्रिम मेधा माध्यम प्रौद्योगिकी का उपयोग वर्तमान में केवल संविधान पीठ मामलों के लिए प्रयोग के आधार पर किया जाता है ।

(घ) और (ड.) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रीति में न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संयुक्त भागीदारी के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है । संघ के मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को आयोजित अपनी बैठक में ई-न्यायालय चरण-3 को 7210 करोड़ रु0 के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है । चरण-1 और चरण-2 के लाभ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाईन और पेपरलेस न्यायालय की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगम पद्दति को प्रारंभ करना है ।

ई-न्यायालय परियोजना चरण-3 के, घटकों में से एक "भविष्य की तकनीकी प्रगति है जिसमें एआई जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियां और इसके उपवर्ग जैसे मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) और नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (एनएलपी) आदि शामिल है ।

****